

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 279]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 सितम्बर 2024—आश्विन 4, शक 1946

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2024

क्रमांक GAD/2/0005/2024/GAD-1-01(GAD)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात:-

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची में, विद्यमान शीर्षक “पैंतीस-पशुपालन एवं डेयरी विभाग” तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात:-

“पैंतीस-पशुपालन एवं डेयरी विभाग”

(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय

1. पशु चिकित्सा सेवाएं, जिसमें पशुधन का परिरक्षण, संरक्षण तथा उसकी अभिवृद्धि शामिल है.
2. पशु चिकित्सा सेवाएं जिसमें पशु रोगों की रोकथाम तथा उनका उपचार शामिल है.
3. पशु चिकित्सा औषधि एवं पशुपालन के क्षेत्र में शिक्षण, अनुसंधान एवं विस्तार कार्य.

4. समुन्नत प्रजनन जिसमें नवीन तकनीक सम्मिलित है.
5. चारा विकास.
6. जैविक संस्थाएं.
7. विभागीय तकनीकी प्रशिक्षण.
8. कुक्कुट पालन, प्रजनन एवं संवर्धन.
9. डेयरी गतिविधियों का सर्वेक्षण, विस्तार, विकास एवं सांख्यिकी.
10. सहकारी क्षेत्र के माध्यम से संकलन, प्रसंस्करण तथा विपणन.
11. गौ संरक्षण तथा संवर्धन के लिए समन्वय.
12. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध सभी विषय जिसका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ- नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानान्तरण, वेतन, छुट्टी, पेंशन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन.
13. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988(1988 का 49) की धारा 19 के अन्तर्गत अभियोजन की मंजूरी.
(दो) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी.

(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम:-

1. पशु अतिचार अधिनियम, 1871(1871 का 1).
2. पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9).
3. मध्यप्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959(1959 का 18).
3.1 मध्यप्रदेश कृषिक पशु पाररक्षण नियम, 1959.
4. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960(1960 का 59).
4.1 पशु कल्याण बोर्ड (प्रशासनिक) नियम, 1962.
4.2 भार ढोने वाले और लहू पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण नियम, 1965.
4.3 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (नाल ठोकने की अनुज्ञप्ति) नियम, 1965.
4.4 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (मवेशी के परिसर का पंजीयन) नियम, 1978.
4.5 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (जुर्माना लागू करना) नियम, 1978.

- 4.6 कूरता निवारण (जानवरों को पकड़ना) नियम, 1979.
- 4.7 पशुओं के प्रति कूरता का निवारण (पशुओं का पैदल परिवहन) नियम, 2001.
- 4.8 पशुओं के प्रति कूरता का निवारण (पशुओं के प्रति कूरता के निवारण के लिए सोसाइटियों का गठन और विनियम) नियम, 2001.
- 4.9 प्रदर्शन करने वाले पशु (पंजीकरण) संशोधन नियम, 2001.
- 4.10 पशु परिवहन नियम, 1978.
- 4.11 पशुओं के प्रति कूरता का निवारण (वधगृह) नियम, 2001.
- 4.12 पशुओं के प्रति कूरता का निवारण (मवेशी पशुओं की देखरेख और भरण पोषण) नियम, 2017.
- 4.13 पशुओं के प्रति कूरता का निवारण (पशुधन बाजार का विनियमन) नियम, 2017.
- 4.14 पशुओं के प्रति कूरता का निवारण (श्वान प्रजनन और विपणन) नियम, 2017.
- 4.15 पशुओं के प्रति कूरता का निवारण (पालतू पशु दुकान) नियम, 2018.
- 4.16 पशुओं के प्रति कूरता का निवारण (पशुपालन कार्य और प्रक्रिया) नियम, 2023.
- 4.17 पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023.
- 4.18 पशुओं के प्रति कूरता (अंडे देने वाली मुर्गियां) नियम, 2023.
5. मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास अधिनियम, 1982 (क्र.37 सन् 1982).
 - 5.1 मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम भर्ती तथा सेवा संबंधी नियम, 1994.
6. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52).
 - 6.1 भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् नियम, 1985.
 - 6.2 भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (निरीक्षक और आगंतुक) विनियम, 1991.
 - 6.3 भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (पशु चिकित्सा व्यवसायियों के लिए वृत्तिक आचरण, शिष्टाचार का मानक तथा आचार संहिता) विनियम, 1992.

- 6.4 भारतीय पशु चिकित्सा-पशु चिकित्सा के न्यूनतम मापदंड(पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन स्नातक-उपाधि पाठ्यक्रम) विनियम, 2016.
- 6.5 भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (पशु चिकित्सा महाविद्यालयों और पशु चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता तथा मान्यता वापस लेने की प्रक्रिया) नियम, 2017.
7. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम,1987(1987 का 37).
8. मध्यप्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम,1995 (क्रमांक 18 सन् 1995).
9. मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम,2004 (क्रमांक 6 सन् 2004).
- 9.1 मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध नियम,2012.
10. पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 (2009 का 27).
- 10.1 वीर्य के माध्यम से संक्रामक और सांसर्गिक रोगों के निवारण और नियंत्रण के लिए वीर्य स्टेशनों के लिए न्यूनतम मानक प्रोटोकॉल नियम, 2023.
11. नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 16 सन् 2009) .
- 11.1 नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान प्रथम परिनियम, 2010.
- 11.2 विश्वविद्यालय के अधिकारियों/शिक्षकों की नियुक्ति, चयन, वेतन एवं भत्ते तथा अन्य शर्तों के निर्धारण संबंधी विनियम, 2010.
- 11.3 पशुपालन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2011.
- 11.4 विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों (लिपिकीय/अलिपिकीय) की नियुक्ति, चयन, वेतन एवं भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों के लिए विनियम, 2011.
12. मध्यप्रदेश गौ-भैंस वंश प्रजनन विनियमन अधिनियम,2019 (क्रमांक 16 सन् 2019) ..
13. संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी अंतर्गत भर्ती नियम.
- 13.1 मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1966.
- 13.2 मध्यप्रदेश पशुचिकित्सा विभाग के आकस्मिता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्त नियम,1979.
- 13.3 मध्यप्रदेश पशुपालन चतुर्थ श्रेणी संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा की शर्त) नियम, 2018.

13.4 मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा तृतीय श्रेणी (अलिपिकवर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2006.

13.5 मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (लिपिक/शीघ्रलेखक) पशुपालन एवं डेयरी सेवा भर्ती नियम, 2022.

(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय.-

1. संचालनालय, पशुपालन एवं डेयरी.

(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्डल तथा निगम.-

1. मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम.

2. मध्यप्रदेश गौ-संवर्धन बोर्ड.

3. मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद.

4. नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर.

(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकाय.-

1. मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. .

2. मध्यप्रदेश राज्य पशु कल्याण सलाहकार मंडल.

(ऊ) विभाग के अधीन सेवा के नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा संबंधी विषय, यदि कोई हो.-

1. संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी.

(एक) राजपत्रित प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी.

[मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1966].

(दो) अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (कार्यपालक तथा लिपिक वर्गीय).

[(क) मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा तृतीय श्रेणी (अलिपिकवर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2006].

[(ख) मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (लिपिक/ शीघ्रलेखक) पशुपालन एवं डेयरी सेवा भर्ती नियम, 2022].

(तीन) चतुर्थ श्रेणी तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले.

[(क) मध्यप्रदेश पशुचिकित्सा विभाग के आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्त नियम, 1979].

[(ख) मध्यप्रदेश पशुपालन चतुर्थ श्रेणी संविदा कर्मचारी भर्ती तथा सेवा शर्त नियम, 2018].

2. मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. .

(एक) मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. भर्ती, वर्गीकरण तथा सेवा शर्त विनियम, 1965.

3. मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम.
(एक) मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के भर्ती तथा सेवा संबंधी नियम 1994.
4. नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर.
(एक) विश्वविद्यालय के अधिकारियों और शिक्षकों की नियुक्ति, चयन, वेतन एवं भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तों के लिए विनियम-2010.
(दो) मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के सेवा कर्मियों की नियुक्ति, चयन प्रक्रिया, वेतन एवं भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों के लिए विनियम- 2011.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसरिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2024

क्र. GAD-2-0005-2024-GAD-1-01-(GAD).-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक GAD-2-0005-2024-GAD-1-01-(GAD), दिनांक 26 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसरिया, उपसचिव.

Bhopal, the 26th September 2024

No. GAD/2/0005/2024/GAD-1-01(GAD)- In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules, In the Schedule, for the existing heading and entries relating thereto "XXXV-DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING", the following heading and entries relating thereto shall be substituted, namely: -

"XXXV - ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING DEPARTMENT"

(A) Matters of Policy dealt with in the Department:

1. Veterinary Services, including preservation, protection and improvement of livestock.

2. Veterinary services including prevention of animal diseases and their treatment.
3. Teaching, research and extension work in the field of veterinary medicine and animal husbandry.
4. Advanced breeding which includes new technology.
5. Fodder Development.
6. Biological Institutes.
7. Departmental Technical Training.
8. Poultry rearing, breeding and upgradation.
9. Survey, extension, development and Statistics pertaining to Dairy activities.
10. Collection, processing and marketing through co-operative sector
11. Co-ordination for Cow Protection and Promotion.
12. All matters relating to such services with which the Department is concerned (other than matters allotted to the Finance Department and the General Administration Department) e.g. appointments, postings, transfer, inquiries, leave, pensions, promotions, provident funds, deputations, punishments and memorials.
13. (i) Sanction of prosecution under section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988).
(ii) Sanction of prosecution against Public Servants under Section 218 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023, (46 of 2023) and Special/other Acts.

(B) Acts and Rules administered by the Department:-

1. The Cattle Trespass Act, 1871 (1 of 1871).
2. The Livestock Importation Act, 1898 (9 of 1898).
3. The Madhya Pradesh Agricultural Cattle Preservation Act, 1959 (No. 18 of 1959).
3.1 The Madhya Pradesh Agricultural Cattle Preservation Rules, 1959.
4. The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960).
4.1 The Animal Welfare Board (Administrative) Rules, 1962
4.2 The Prevention of Cruelty to Draught and Pack Animals Rules, 1965.

- 4.3 The Prevention of Cruelty to Animals (Licensing of Farriers) Rules, 1965.
- 4.4 The Prevention of Cruelty to Animals (Registration of Cattle Premises) Rules, 1978.
- 4.5 The Prevention of Cruelty to Animals (Application of Fines) Rules, 1978.
- 4.6 The Prevention Cruelty (Capture of Animals) Rules, 1979.
- 4.7 The Prevention of Cruelty to Animals (Transportation of Animals on Foot) Rules, 2001.
- 4.8 The Prevention of Cruelty to Animals (Constitution and Regulation of Societies for the Prevention of Cruelty to Animals) Rules, 2001.
- 4.9 The Performing Animals (Registration) Rules, 2001.
- 4.10 The Transport of Animal Rules, 1978.
- 4.11 The Prevention of Cruelty to Animals (Slaughter House) Rules 2001.
- 4.12 The Prevention of Cruelty to Animals (Care and Maintenance of Cattle Animals) Rules, 2017.
- 4.13 The Prevention of Cruelty to Animals (Regulation of Livestock Market) Rules 2017.
- 4.14 The Prevention of Cruelty to Animals (Dog Breeding and Marketing) Rules, 2017.
- 4.15 The Prevention of Cruelty to Animals (Pet Shop) Rules, 2018.
- 4.16 The Prevention of Cruelty to Animals (Animal Husbandry Practices and Procedures) Rules, 2023.
- 4.17 The Animal Birth Control Rules, 2023.
- 4.18 The Prevention of Cruelty to Animals (Egg Laying Hens) Rules, 2023.
5. The Madhya Pradesh Rajya Pashudhan evam Kukkut vikas Nigam Adhinyam, 1982 (No. 37 of 1982).
 - 5.1 Madhya Pradesh State Livestock and Poultry Development Corporation Recruitment and service rules, 1994.

6. The Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984).
 - 6.1 The Indian Veterinary Council Rules, 1985.
 - 6.2 The Veterinary Council of India (Inspectors and Visitors) Regulations, 1991.
 - 6.3 The Indian Veterinary Council of India (Standard of Professional Conduct Etiquette and Code Ethic of Conduct for Veterinary Practitioners) Regulations, 1992.
 - 6.4 The Veterinary Council of India Minimum Standards of Veterinary Education- (Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry-Degree Course) Regulations, 2016.
 - 6.5 The Veterinary Council of India (Procedure for recognition and de-recognition of Veterinary Colleges and Veterinary Qualifications) Rules, 2017.
7. The National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987).
8. The Madhya Pradesh Go-Seva Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 18 of 1995).
9. The Madhya Pradesh Govansh vadh Pratishedh Adhiniyam 2004 (No. 6 of 2004).
 - 9.1 The Madhya Pradesh Govansh vadh Pratishedh Rules, 2012.
10. The Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009 (27 of 2009).
 - 10.1 The Minimum Standard Protocol for Semen Stations for Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases through Semen, Rules, 2023.
11. Nanaji Deshmukh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009 (No. 16 of 2009).
 - 11.1 Nanaji Deshmukh Veterinary Science First Statutes, 2010.
 - 11.2 Regulations regarding appointment, selection, determination of salary and other conditions of university officers/teachers, 2010.
 - 11.3 Animal Husbandry Diploma Course Admission Rules, 2011.
 - 11.4 Regulations 2011 for appointment, selection, salary and allowances and other conditions of service of officers/employees (Ministerial/Non Ministerial) of university.

12. Madhya Pradesh Gau-Bhains Vansh Prajanan Viniyaman Adhinyam, 2019(No. 16 of 2019).
13. Directorate of Animal Husbandry and Dairy Recruitment rules
 - 13.1 Madhya Pradesh Veterinary Service (Gazetted) Recruitment Rules, 1966.
 - 13.2 Madhya Pradesh Veterinary Department Contingency Paid Employees Recruitment and Conditions of Service Rules 1979.
 - 13.3 Madhya Pradesh Animal Husbandry Class IV Contract Service (Appointment and services Conditions) Rules, 2018.
 - 13.4 Madhya Pradesh Veterinary Class III (Non Ministerial) Service Recruitment Rules, 2006.
 - 13.5 Madhya Pradesh Class III (Ministerial/Stenographer) Animal Husbandry and Dairy Recruitment Rules, 2022.
- (C) Directorate and offices under the department.
 1. Directorate of Animal Husbandry and Dairying.
- (D) Boards and Corporations formed under the Acts.-
 1. Madhya Pradesh Rajya Pashudhan evam Kukkut vikas Nigam.
 2. Madhya Pradesh Gau Samvardhan Board.
 3. Madhya Pradesh Rajya Pashu Chikitsa Parishad.
 4. Nanaji Deshmukh Veterinary Science University, Jabalpur
- (E) Other Institutions and bodies not covered under (e) above.
 1. Madhya Pradesh State Co-operative Dairy Federation Ltd.
 2. Madhya Pradesh State Animal Welfare Advisory Board.
- (F) Name of the service under the department, if any, and subject related to special service, if any.-
 1. Directorate of Animal Husbandry and Dairying.
 - (i) Gazetted Class I and II.
(Madhya Pradesh Veterinary Service (Gazetted) Recruitment Rules, 1966).
 - (ii) Non-Gazetted Class III (Executive and Ministerial)
 - (A) Madhya Pradesh Veterinary Class III (Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 2006.
 - (B) Madhya Pradesh Class III (Ministerial/Stenographer) Animal Husbandry and Dairy Service Recruitment Rules, 2022.

- (iii) Class IV and Contingency Paid.
 - (A) Recruitment and service conditions of Contingency paid employees of Madhya Pradesh Veterinary Department Rules, 1979.
 - (B) Recruitment and service conditions of Class IV Contractual employees of Madhya Pradesh Animal Husbandry Rules, 2018.
2. Madhya Pradesh State Co-operative Dairy Federation Ltd.
 - (i) Madhya Pradesh State Co-operative Dairy Federation Ltd Recruitment, Categorization and Service Conditions Regulations, 1965.
3. Madhya Pradesh State Livestock and Poultry Development Corporation.
 - (i) Madhya Pradesh State Livestock and Poultry Development Corporation Recruitment and service Rules, 1994.
4. Nanaji Deshmukh Veterinary Science University, Jabalpur.
 - (i) Regulations for Appointments, selection, Pay and allowances and other conditions of services for officers and teachers of the Vishwa Vidyalaya, 2010.
 - (ii) Regulations for Appointments, Procedure for selection, Pay and Allowances and other condition of the service for Service Personnel of the Madhya Pradesh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwa Vidyalaya, Jabalpur 2011.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY KATESARIA, Dy. Secy.